

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275407
SG-DL-E-12082026-275407असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 162
No. 232]	DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948	[N. C. T. D. No. 162

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

फा.सं. डीओई-ए2/117/2026-पीएसबी-शिक्षा निदेशालय-भाग(1)/5414.—दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 2 के खंड (क) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 में, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, को एतद द्वारा इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए प्रकाशित किया जाता है;

और जबकि, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात और केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाएगा;

अब, इसलिए उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व इसे प्रधान सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 को या ईमेल ddeact1@gmail.com के माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—

- (1) इन नियमों को दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाए।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 44 में संशोधन :—

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 44 के उप-नियम (3) का विलोप किया जाएगा।

3. नियम 50 में संशोधन :—

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 50 के खंड (ii) का विलोप किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. दिलराज कौर, प्रधान सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 10th August, 2026

F. No. DOE-A2/117/2026-PSB-EDUCATION DIRECTORATE-Part(1)/5414.— The following draft rules further to amend the Delhi School Education Rules, 1973, which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with clause (a) of section 2 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), proposes to make, with the previous approval of the Central Government, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby;

And whereas notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration, after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and after obtaining the approval of the Central Government;

Now, therefore, any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft rules may forward the same to the Pr. Secretary (Education), Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054, or through email at ddeact1@gmail.com, before the expiry of the said period.

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be duly considered:.

DRAFT RULES**1. Short title and commencement.—**

- (1) These rules may be called the Delhi School Education (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 44.—

In the Delhi School Education Rules, 1973, in rule 44, sub-rule (3) shall be omitted.

3. Amendment of rule 50.—

In the Delhi School Education Rules, 1973, in rule 50, clause (ii) shall be omitted.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
DR. DILRAJ KAUR, Pr. Secy. (Education)